भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1284

जिसका उत्तर दिनांक 28.07.2022 को दिया जाना है

नाभिकीय रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक/वित्तीय मंजूरी

1284 श्री वि. विजयसाई रेड्डी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दस नाभिकीय रिएक्टरों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण के लिए प्रस्तावित दसों रिएक्टरों में से प्रत्येक का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त दस रिएक्टरों से क्षमता में कितनी अनुमानित वृद्धि होगी;

(घ) वे कब तक परिचालित कर दिए जाएंगे; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने पाँच नाभिकीय रिएक्टरों के लिए सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दे दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) जी, हां।

(ख) प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्राप्त और शीघ्रगामी (फ्लीट) मोड में स्थापित करने हेतु योजनाबद्ध नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :

परियोजना	स्थल और राज्य	क्षमता (मेगावाट)
कैगा-5 तथा 6	कैगा, कर्नाटक	2 X 700
जीएचएवीपी- 3 तथा 4	गोरखपुर, हरियाणा	2 X 700
चुटका-1 तथा 2	चुटका, मध्य प्रदेश	2 X 700
माही बांसवाड़ा-1 से 4	माही बांसवाड़ा, राजस्थान	4 X 700

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं के पूर्ण होने पर, 7000 मेगावाट की कुल क्षमता देश की संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता में जुड़ जाएगी।

(घ) इन नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के वर्ष 2031 तक क्रमिक रूप से पूरा होने की योजना है।

(ङ) जी, हां। सरकार ने नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निम्नलिखित पांच स्थलों को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन भी प्रदान कर दिया है :

स्थल और स्थान	**क्षमता (मेगावाट)**
जैतापुर, महाराष्ट्र	6 x 1650
कोव्वडा, आंध्र प्रदेश	6 x 1208
छाया मिठी विरडी, गुजरात	6 x 1000*
हरिपुर, पश्चिम बंगाल	6 x 1000*
भीमपुर, मध्य प्रदेश	4 x 700

'*' *निम्न क्षमता*

*****